शहरी अवस्थापना और शहरी परिदृश्य तथा नीति की वित्त व्यवस्था संबंधी तकनीकी दलों की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(घ) जी, नहीं। सभी तीनों तकनीकी दलों की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।

अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंध

3646. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंध में सुधार लाने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंध हेतु अब तक स्वीकृत की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है और कितने कस्बों के लिए ये निधियां उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंध हेतु राजस्थान के किसी कस्बे को निधियां उपलब्ध कराई गई हैं और कितने कस्बों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि कम्पोस्ट उत्पादन में नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपयोग हेतु प्रायोगिक / निदर्श प्रकल्प स्थापित करने के वास्ते निम्नांकित शहरों / राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है:—

शहर / राज्य	परियोजना लागत (लाख रुपये)	मंजूर की गई राशि (लाख रुपये)
हैदराबाद	436.45	25.00
हिमाचल प्रदेश	88.90	25.00
गाजियाबाद	375.00	25.00

(ग) जी, नहीं।

Encroachments in Basant Gaon

3647. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some persons have encroached Government public passages and established latrin and bathroom etc. in the various colonies of Delhi particularly Basant Gaon (Basant Nagar);

(b) whether Government have received the various representations from the individuals/Association etc. to the Lt. Governor, DDA, MCD, Delhi Police etc. during the last two years and till date regarding unauthorised construction at Government passage;

(c) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(d) the exact time by when Government propose to remove unauthorised construction in Government passages in Basant Gaon, New Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (d) Delhi Police has, reported that one complaint regarding unauthorised construction/encroachment at Basant Gaon near DDA Apartments was received from L.G. House which was sent to DDA for action.

DDA has stated that a report regarding unauthorised construction near House No. 4-B in Khasra No. 33/10 of Village Basant was received from L.G. Office on 10.7.1998 and it demolished the bathroom and boundary wall which was constructed in the area.

MCD has reported that as and when such type of encroachment is noticed,

action is taken to remove the encroachment.

Illegal Dhabas/Restaurants opened in Farm Houses and Panchayat Land

3648. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hundred of Shops/Dhabas/Restaurants have illegally opened up in farm houses and village panchayat land on Gurgaon-Mahrauli and Gurgaon Delhi border in connivance with the officials;

(b) whether Government propose to set up an enquiry into it; and

(c) what steps have been taken by Government to remove such illegal encroachments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (c) MCD has reported that a number of shops/dhabas and restaurants have come up at Andheria More Road leading to Gaurgaon. There are also three restaurants running in farm houses on Mehrauli Gurgaon Road. A number of shops/dhabas/restaurants have been registered under ad-hoc registration scheme, 1990, and those not registered are being prosecuted. Recently prosecution action in this area had been taken on 4.6.1998, besides routine raids being conducted in this area. The encroachement from village Panchayat land are removed by the Revenue Department and from Municipal land by Municipal Corporation of Delhi from time to time with the help of police. Prosecution action is taken by MCD under section 417 of DMC Act.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को बेची गई भूमि

3649. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विगत वर्षों के दौरान सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यापारिक और शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि बेची गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संस्था को बेची गई भूमि का इसकी कीमत सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भूमि की कीमत बाजार की कीमत की तुलना में कम आंकी गई है; और

(घ) यदि हां, तो भूमि की कीमत कम आंकने के क्या कारण हैं और कीमत कम रखने के लिए अपनायी गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डी०डी०ए० पट्टा आधार पर सांस्कृतिक, सामाजिक और शिक्षण संस्थानों को भूमि आबंटित करता है। औद्योगिक प्लाटों की बिक्री नीलामी/टेंडर के माध्यम से की जाती है।

(ख) जिन सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों तथा शिक्षण संस्थानों को गत तीन वर्षों के दौरान भूमि आबंटित की गई, जिसमें भूमि का मूल्य भी शामिल है, उनकी सूची क्रमशः विवरण I और II में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) यह भूमि पट्टे के आधार पर और भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आबंटित की जाती है।

विवरण I

सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों को गत तीन वर्षों के दौरान भूमि का आबंटन

क्रम० सं०	संस्थान का नाम	क्षेत्र	दर प्रति एकड़
1999			
1.	श्री राम सेवा संघ	300 वर्ग मीटर	50 लाख
2.	पार्वती एसोसियशन	4090 वर्ग मीटर	10 लाख